

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 2606] No. 2606] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 2, 2016/कार्तिक 11, 1938

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 2, 2016/KARTIKA 11, 1938

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 नवम्बर, 2016

का.आ. 3358(अ).—केन्द्रीय सरकार ने कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 की उप-धारा (1) के अधीन जारी और भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii), तारीख 6 जनवरी, 2015 में प्रकाशित भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 47(अ), तारीख 1 जनवरी, 2015 द्वारा प्रकाशित उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 76.91 हेक्टेयर (लगभग) या 189.99 एकड़ (लगभग) परिक्षेत्र की भूमि में और उस पर के सभी अधिकारों के अर्जन करने के अपने आशय की सूचना दी थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 8 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

और केन्द्रीय सरकार का पूर्वोक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और झारखंड सरकार से परामर्श करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि इससे उपाबंध अनुसूची में वर्णित 76.91 हेक्टेयर (लगभग) या 189.99 एकड़ (लगभग) माप वाली भूमि में या उस पर के सभी अधिकारों का अर्जन किया जाना चाहिए;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप - धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करती है की इससे संलग्न अनुसूची में यथा वर्णित 76.91 हेक्टेयर (लगभग) या 189.99 एकड़ (लगभग) माप वाली भूमि में या उस पर के सभी अधिकार अर्जित किए जाने है।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाले क्षेत्र के रेखांक संख्या आरईवी/08/2015, तारीख 31 अगस्त, 2015 का निरीक्षण उपायुक्त, जिला रामगढ़, झारखंड के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, 1, काउंसिल हाऊस स्ट्रीट, कोलकाता - 700001 के कार्यालय में या महा प्रबंधक, कुजू क्षेत्र, जिला रामगढ़, झारखंड या महा प्रबंधक(भूमि और राजस्व), सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, दरभंगा हाउस, राँची, झारखंड या मुख्य महाप्रबंधक (खोज प्रभाग), सेंट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड, गोंडवाना पैलेस, कांके रोड, रांची, झारखंड के कार्यालय में किया जा सकता है।

5103 GI/2016 (1)

अनुसूची

कुजू खुली खदान परियोजना

जिला – रामगढ़ (झारखण्ड)

(रेखांक संख्या आरईवी/08/2015, तारीख 31 अगस्त, 2015)

सभी अधिकार:

ब्लॉक	ग्राम	थाना	थाना संख्या	जिला	क्षेत्र	टिप्पणियां
					(एकड़ में)	
ए	कुजू	मांडू	154	रामगढ़	77.52	भाग
ए	पोखरिया	मांडू	121	रामगढ़	111.40	भाग
बी	कुजू	मांडू	154	रामगढ़	1.07	भाग
	_	_	_	कुल: 189.99	एकड़(लगभग) या 76	.91 हेक्टर(लगभग)

ग्राम कुजू में अर्जित की गई प्लॉटों की संख्या: 115(भाग), 116(भाग),146, 152(भाग), 153(भाग), 155(भाग), 156(भाग), 157(भाग), 158(भाग), 159, 160(भाग), 161 से 163, 165(भाग), 167(भाग), 168 से 173, 174(भाग), 175(भाग), 176(भाग), 177(भाग), 178(भाग), 181(भाग), 182(भाग), 188(भाग), 189 से 206, 207(भाग), 208 से 272, 183(भाग), 2841, 2842, 2843, 2844, 2845।

ग्राम पोखरिया में अर्जित की गई प्लॉटों की संख्या : 10(भाग), 12(भाग), 13 से 17, 18(भाग), 19 से 31, 32(भाग), 41(भाग), 42(भाग), 43, 44, 46(भाग), 47 से 57, 58।

ब्लॉक 'ए'

- क-ख-ग रेखा बिन्दु 'क' से आरंभ होती है और प्लॉट संख्या 50, 146, 50, 148, 160, 50, 158, 154, 156, 165, 266 और नाला के सीमा रेखा प्लॉट संख्या 165 और 283, ग्राम कुजू से गुजरती हुई बिन्दु 'क' पर मिलती है।
- ग-घ रेखा बिन्दु 'ग' वन सीमा और प्लॉट संख्या 283, ग्राम कुजू और प्लॉट संख्या 31 और ग्राम पोखरिया के बिन्दु 'घ' पर मिलती है।
- घ-ड. रेखा बिन्दु 'घ' अगरिया गरहा नदी के मध्य रेखा से गुजरती हुई प्लॉट संख्या 45, ग्राम पोखरिया के बिन्दु 'ड.' पर मिलती है।
- ड.-क रेखा बिन्दु 'ड.' प्लॉट संख्या 35,41,32,12,10,46 ग्राम पोखरिया और प्लॉट संख्या 167,174,175,176,177,178,181, 182,183,165,50,163,50 ग्राम कुजू से गुजरती हुई आरंभिक बिन्दु 'क' पर मिलती है।

ब्लॉक 'बी'

- च-छ-ज रेखा बिन्दु 'च' से आरंभ होती है और सीमा रेखा प्लॉट संख्या 152,116,115 से गुजरती हुई ग्राम कुजू के बिन्दु 'ज' पर मिलती है।
- ज-च रेखा प्लॉट संख्या 115,116,152,153 से गुजरती हुई ग्राम कुजू के आरंभिक बिन्दु 'च' पर मिलती है।

[फा. सं. 43015/7/2013-पीआरआईडब्ल्यू-I]

आर. पी. गुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COAL

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st November, 2016

S.O. 3358(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Coal number S.O. 47(E), dated the 1st January, 2015 issued under sub-section (1) of section 7 of the Coal Bearing Areas(Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957)(hereinafter referred to as the said Act) and published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 6th January, 2015 the Central Government gave notice of its intention to acquire all rights in and over the land measuring 76.91 hectares (approximately) or 189.99 acres (approximately) in the locality specified in the Schedule appended to that notification;

And whereas, the competent authority in pursuance of section 8 of the said Act has made his report to the Central Government:

And whereas, the Central Government after considering the aforesaid and after consulting the Government of Jharkhand is satisfied that the all rights in and over land measuring 76.91 hectares (approximately) or 189.99 acres (approximately) as described in the Schedule appended hereto, should be acquired;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the said Act, the Central Government hereby declares that all rights in and over lands measuring 76.91 hectares (approximately) or 189.99 acres (approximately) as described in the Schedule annexed hereto, are hereby acquired.

The plan bearing number REV/08/2015, dated the 31st August, 2015 of the area covered by this notification may be inspected in the office of the Deputy Commissioner, District Ramgarh, Jharkhand or at the office of Coal Controller, 1, Council House street, Kolkata -700001 or in the office of the General Manager, Kuju Area, District Ramgarh, Jharkhand or General Manager (L and R), Central Coalfields Limited, Darbhanga House, Ranchi, Jharkhand or Chief General Manager (Exploration Division), Central Mine Planning and Design Institute Limited, Gondwana Place, Kanke Road, Ranchi, Jharkhand.

SCHEDULE

Kuju Opencast Project

District – Ramgarh (Jharkhand)

(Plan bearing number Rev/08/2015, dated the 31st August, 2015)

All Rights:

Block	Village Thana		Thana number	District	Area (in acres)	Remarks
A	Kuju	Mandu	154	Ramgarh	77.52	Part
A	Pokharia	Mandu	121	Ramgarh	111.40	Part
В	Kuju	Mandu	154	Ramgarh	1.07	Part

Total: 189.99 acres (approximately) or 76.91 hectares (approximately)

Plot numbers acquired in village Kuju: 115(P), 116(P), 146, 152(P), 153(P), 155(P), 156(P), 157(P), 158(P), 159, 160(P), 161 to 163, 165(P), 167(P), 168 to 173,174(P), 175(P), 176(P), 177(P), 178(P), 181(P), 182(P), 188(P), 189 to 206, 207(P), 208 to 272, 283(P), 2841, 2842, 2843, 2844, 2845.

Plot numbers acquired in village Pokharia: 10(P), 12(P), 13 to 17, 18(P), 19 to 31, 32(P), 41(P), 42(P), 43, 44, 46(P), 47 to 57, 58.

Boundary Description:

Block 'A'

A-B-C	-	Line starts from point 'A' passes through plot numbers 50, 146, 50, 148, 160, 50, 158, 154,
		156, 165, 266 boundary line of nalla in plot numbers 165 and 283 in village Kuju and meets
		at point 'C'.

- C-D Line passes through point 'C' from Forest boundary plot number 283 in village Kuju and plot number 31 and meets at point 'D' in village Pokharia.
- D-E Line passes through point 'D' from centre line of Agaria Garha Nadi (plot number 45) in village Pokharia and meets at point 'E'.
- E-A Line passes through point 'E' plot numbers 35, 41, 32, 12, 10, 46 in village Pokharia and plot numbers 167, 174, 175, 176, 177, 178, 181, 182, 183, 165, 50, 163, 50 in village Kuju and meets at starting point 'A'.

Block 'B'

- F-G-H Line start from point 'F' passes through boundary line of plot numbers 152, 116, 115 and meets at point 'H' in village Kuju.
- H-F Line passes through plot numbers 115, 116, 152, 153 and meets at starting point 'F' in village Kuju.

[F. No. 43015/7/2013-PRIW-I] R. P.GUPTA, Jt. Secy.